(ख) आचरण, अनुशासन एवं अपील नियम

11 (1) केन्द्रीय सरकारी औद्योगिक अधिकरण व श्रम न्यायालय इत्यादि के निर्णय में अपील उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने के लिए समय रहते कार्रवाई की जाए।

किसी संगठन में औद्योगिक विवाद के संबंध में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण व श्रम न्यायालय के निर्णय की ओर हाल ही में सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था, जहां मामले के गुणावगुण के आधार पर उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का पर्याप्त आधार था, परंतु इस संबंध में किसी निर्णय पर पहुँचने में काफी विलंब हो गया था, इसलिए यह विनिश्चय किया गया कि औद्योगिक अधिकरण व श्रम न्यायालय के निर्णय का विरोध करने की जरूरत नहीं है।

2. उपर्युक्त उदाहरण से श्रम न्यायालय के मामलों के संबंध में समय रहते समावेदन करने के महत्व का पता चलता है, जिससे कि समय संबंधी चूक अथवा विलंब के कारण ऐसे मामले के समावेदन का अवसर न खो जाए, जो विधिक रूप से ठोक मामला हो सकता है। अतः इस्पात और खान मंत्रालय इत्यादि यह सुनिश्चित करे कि श्रम न्यायालय इत्यादि द्वारा दिए गए निर्णयों को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर रोकने (स्टे) के लिए और उसका विरोध करने के लिए जहां कहीं आवश्यक समझे, समय रहते कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। उन सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य संगठनों को समय–समय पर उपयुक्त अनुदेश भी जारी किए जाएं, जिन्हें ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है।

(तारीख 22 अप्रैल, 1978 का पत्र सं. वी.पी.ई.जी.एल.–008/78/एम.ए.एम./2(31)78–बी.पी.ई.) जी.एम.–1)